



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223873
CG-DL-E-22122020-223873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4083]
No. 4083]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/Pausha 1, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4646(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 29) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 दिसम्बर 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	धाराएं
1.	धारा 1;
2.	धारा 3;
3.	धाराएं 6 से 10 (दोनों सम्मिलित);
4.	धाराएं 12 से 17 (दोनों सम्मिलित);
5.	धारा 18 के खंड (क) और (ख);
6.	धाराएं 19 से 21 (दोनों सम्मिलित);
7.	धारा 22 का खंड (i);
8.	धारा 24;
9.	धारा 26;

10	धाराएं 28 से 31 (दोनों सम्मिलित);
11.	धाराएं 33 से 39 (दोनों सम्मिलित);
12.	धाराएं 41 से 44 (दोनों सम्मिलित);
13.	धाराएं 46 से 51 (दोनों सम्मिलित);
14.	धारा 54;
15.	धारा 57;
16.	धारा 61; और
17.	धारा 63 ।

[फा. सं. 1/3/2020-सीएल.1]

के.वी.आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2020

S.O. 4646(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2020 (29 of 2020), the Central Government hereby appoints the 21st day of December, 2020 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

Sl. No.	Sections
1.	Section 1;
2.	Section 3;
3.	Sections 6 to 10 (both inclusive);
4.	Sections 12 to 17 (both inclusive);
5.	Clauses (a) and (b) of section 18;
6.	Sections 19 to 21 (both inclusive);
7.	Clause (i) of section 22;
8.	Section 24;
9.	Section 26;
10.	Sections 28 to 31 (both inclusive);
11.	Sections 33 to 39 (both inclusive);
12.	Sections 41 to 44 (both inclusive);
13.	Sections 46 to 51 (both inclusive);
14.	Section 54;
15.	Section 57;
16.	Section 61; and
17.	Section 63.

[F. No. 1 /3 /2020-CL.1]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.